

हरियाणा सरकार  
आबकारी तथा कराधान विभाग  
अधिसूचना

दिनांक 3 जनवरी, 2014

संख्या वैब 1/ह0अ0 6/2003/धा0 59/2014. – संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप जिसे हरियाणा के राज्यपाल, हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का 6), की धारा 59 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम से सलंगन अनुसूची ख और ग में बनाने का प्रस्ताव करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है, जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है ।

इसके द्वारा नोटिस दिया जाता है कि इस अधिसूचना के कार्यालय वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट हरियाणा टैक्स डॉट काम पर अपलोडिंग की तिथि से दस दिन की अवधि की समाप्ति पर या इसके पश्चात् सरकार, संशोधन प्रारूप पर, ऐसे आक्षेपों या सुझावों सहित, यदि कोई हों, जो प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, चण्डीगढ़ द्वारा संशोधन प्रारूप के सम्बन्ध में किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त किए जाएं, विचार करेगी ।

संशोधन प्रारूप

हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम 6) में.—

1. अनुसूची ख में, क्रम संख्या 44 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

1	2
“44	सभी प्रकार के जूते (चमड़े से बने जूतों को छोड़कर किन्तु इसमें हवाई चप्पल और उनकी पट्टियाँ शामिल हैं ) जिनकी अधिकतम खुदरा कीमत 500/— रुपये प्रति जोड़ी से अधिक नहीं है, परन्तु कि अधिकतम खुदरा कीमत जूते पर अमिट रूप से चिह्नित या उभरी हुई है ।” ।

2. अनुसूची ग में, क्रम संख्या 55 और उसके सामने प्रविष्टियां का लोप कर दिया जाएगा ।

हरदीप कुमार  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग ।